

पुलिस की सख्ती: दो दुकान संचालक ब्रांडेड कंपनी के बेच रहे थे नकली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, 30 हजार के 174 नग

सामान जब्त



ये खबर उन महिलाओं और युवतियों को सचेत करने वाली है, जो नामी ब्रांड पर भरोसा कर उनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं। दरअसल, बालाघाट नगर मुख्यालय के दो जनरल स्टोर में नकली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट धड़ल्ले से बेचे जा रहे थे, जिसका खुलासा कोतवाली पुलिस ने किया है। गत दिनों पुलिस को मिली शिकायत के बाद एएसपी विजय डावर के मार्गदर्शन तथा सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा के नेतृत्व में स्पेशल टीम गठित कर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का काला सच उजागर किया है। बुधवार को हुई इस कार्रवाई में शहर के दो जनरल स्टोर से भारी मात्रा में नामी कंपनियों के नाम पर करीब 30 हजार कीमत के नकली प्रोडक्ट का जखीरा पकड़ा है।

एक ही क्षेत्र में दो टीम ने की तलाशी

जानकारी के अनुसार, कोतवाली में गत दिनों हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की ओर से आवेदक प्रभात कुमार गुप्ता विधिक सहायक की लिखित शिकायत पर पुलिस ने दो अलग-अलग टीम गठित की।

दिल्ली में हुई जांच, रिपोर्ट में नकली

पुलिस ने वार्ड-17 कुम्हारी मोहल्ला स्थित खुशबू जनरल स्टोर के मालिक सलीम पिता मोहम्मद मजीद (62) और कुम्हारी मोहल्ला में ही स्थित हिना जनरल स्टोर्स मालिक मोहम्मद फजल खान को सूचना से अवगत कराते हुए दुकानों में रखे संदिग्ध प्रोडक्ट के सैंपल लिए गए। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड द्वारा आंतरिक जांच के बाद दुकानों से लिए गए सैंपल को दिल्ली जांच के लिए भेजा गया, जहां इन्हें नकली होना पाया गया।

पेश नहीं कर पाए बिल, सामग्री जब्त

प्राप्त सामग्री के संबंध में खरीदी संबंधी बिल व अन्य दस्तावेज पेश नहीं किए गए, जिसके बाद नकली सामग्रियों को जब्त किया गया। दोनों दुकान संचालकों के खिलाफ धारा 63, 65 कॉपीराइट अधिनियम के तहत अलग-अलग एफआईआर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/mp/balaghat/news/two-shop-operators-were-selling-fake-cosmetic-products-of-branded-company-seized-174-items-worth-30-thousand-129938730.html>